भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2341
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम,1952

†2341. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम,1952 जैसे कानूनों को वर्तमान शहरी वास्तविकताओं को और अधिक सुसंगत बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बना रही है;
(ख) इस समय चंडीगढ़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 22 गांवों में लाल डोरा विनियमों को लागू करने को सरकार किस हद तक उचित ठहराती है, जबकि लाल डोरा ग्रामीण, ग्रामीण राजस्व की अवधारणा है जो किसी गांव में आबादी वाले क्षेत्रों और कृषि भूमि के बीच अंतर करती है;
(ग) लाल डोरा सीमांकन के बावजूद चंडीगढ़ में एक समान अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) लाल डोरा की अवधारणा को जारी रखना और चंडीगढ़ के शहरी नियोजन और मास्टर प्लान 2031 के उद्देश्यों के बीच किस प्रकार तालमेल है; और
(ङ) लाल डोरा के बाहर के क्षेत्रों में निवासियों को, विशेषकर हाल ही में जल कनेक्शन काटे जाने के आलोक में, जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2341, दिनांक 10.12.2024

(ख) से (घ): लाल डोरा के बाहर के विकास चंडीगढ़ मास्टर प्लान, 2031 द्वारा शासित है, जिसे 'पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1952' और 'पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952' के तहत अधिसूचित किया गया है। लाल डोरा के भीतर निर्माण कार्य 'चंडीगढ़ ग्रामीण बस्ती(राजस्व संपदा,आबादी क्षेत्रों के लाल डोरा के भीतर स्थित क्षेत्र) गांव के लिए भवन निर्माण व पुनर्निर्माण उपनियम (नगर निगम के सीमा क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों), 2017' द्वारा शासित है, जिसमें स्वीकार्य वाणिज्यिक कार्य कलापों के लिए प्रावधान किए गए हैं। लाल डोरा से बाहर निर्माण कार्य 'चंडीगढ़ भवन निर्माण नियमावली(शहरी)-2017' द्वारा शासित हैं। 'पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952' के अनुसार, लाल डोरा के बाहर किसी भी व्यक्ति को बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

(ङ): पानी के कनेक्शन जारी करना 'चंडीगढ़ जल आपूर्ति उपनियम, 2011' द्वारा शासित होता है, जिसके अनुसार नगर निगम केवल रेड लाइन/लाल डोरा के भीतर ही पानी के कनेक्शन जारी कर सकता है। अनधिकृत पानी के कनेक्शन काटना एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जाता है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर में स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

******